भारत के राजपत्र, भाग 2 ,खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ

संख्या फा॰1/9/79-स्था0 भाग॰1

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 6th Oct 1983

अधिसूचना

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 148 के खण्ड (5) के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में सेवा करने वाले व्यक्तियों के संबंध में नियंत्रक महालेखापरीक्षक से परामर्श करने के पश्चात् मूल नियम का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मूल(दूसरा संशोधन) नियम, 1983 है।

(2) ये 5 अक्तूबर, 1981 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे ।

2- मूल नियम के नियम 22 ग के पहले परन्तुक में, "सरकारी सेवक किसी वर्ग 1 के ही उच्चतर पद में" शब्दों और अंक के स्थान पर "सरकारी सेवक किसी ऐसे उच्चतर पद में जो एक वर्ग 1 का पद है और जिसके वेतनमान का न्यूनतम 1500 रू0 से अधिक है, " शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

एस॰ हरिहरन

(एस0 हरिहरन)

अवर सचिव, भारत सरकार

स्पष्टीकारक ज्ञापन - इस नियम का भूतलक्षी रूप से संशोधन किया जा रहा है चूंकि उपरोक्त आशय के कार्यपालक अनुदेश का0ज्ञा0सं0 फा॰1/9/79-स्थापना-भाग 1 में तारीख 5॰10॰1981 को जारी किए गए थे । भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी सरकारी सेवक के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है चूंकि यह संशोधन फायदाप्रद प्रकृति का है ।

एस॰ हरिहरन

(एस0 हरिहरन)

अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण:- मूल नियम के नियम 22-ग का पहले निम्नलिखित अधिसूचना में भागत संशोधन किया गया है:-

1- वित्त मंत्रालय अधिसूचना सं0 फा0 2(9)स्था0-III/61,
तारीख - 1 फरवरी, 1963

2- वित्त मंत्रालय अधिसूचना सं0 फा01(5) स्था0-III(ए)/64-
भाग-II, तारीख 18 जुलाई, 1967

3- वित्त मंत्रालय अधिसूचना सं0 फा01(9) स्था-III(ए)/74,
तारीख 30 अक्तूबर, 1974
(सा0का0नि0सं0 1208, भारत के राजपत्र के
तारीख 16 नवम्बर, 1974 के अंक में प्रकाशित की गई)
25 कार्तिक, 1896

सेवा में,

प्रबन्धक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मायापुरी, नई दिल्ली ।